



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 128564

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत अर्ज़ी संख्या - **21081 वर्ष 2026**

मोहम्मद यूसुफ़

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी पक्ष

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : अली हसन, इस्तियाक अली

प्रतिवादी पार्टी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के ए.जी.ए.. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड देखे।
2. यह ज़मानत अर्ज़ी आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 601/2026 में दायर की गई है। यह मामला नशीली दवाएं और साइकोट्रोपिक पदार्थ एक्ट की धारा 8/15/29/60 के तहत थाना-बारादरी, ज़िला-बरेली में दर्ज है और इसमें ज़मानत पर रिहा करने की मांग की गई है।
3. सबसे पहले, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि इस मामले में, रेड करने वाली टीम ने आवेदक के पास से 15.990 ग्राम डोडा की बरामदगी झूठी दिखाई है। उन्होंने आगे कहा कि एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52-A का पालन नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किसी स्वतंत्र गवाह ने नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक 13.05.2026 से जेल में है और उसका एन.डी.पी.एस. मामलों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।
4. विद्वान ए.जी.ए.. ने आवेदक को ज़मानत देने की मांग का विरोध किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इस न्यायालय की राय में NDPS एक्ट की धारा 37 (1) (b) के तहत ज़रूरी शर्तें पूरी होती हैं और आवेदक ने ज़मानत के लिए अपना पक्ष मज़बूती से रखा है।

6. अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की संलिप्तता, सज़ा की गंभीरता और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक ज़मानत का हकदार है। ज़मानत की अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।

7. आवेदक मोहम्मद यूसुफ, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि के दो ज़मानती (sureties) संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार देने होंगे, और उसे नीचे दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसके लिए उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर शक है।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक को यह शपथ-पत्र देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने (स्थगन) की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो ट्रायल न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) आवेदक को तय तारीखों पर ट्रायल न्यायालय में खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहता है, तो ट्रायल न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-A (जो बीएनएस की धारा 269 के बराबर है) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) अगर आवेदक ट्रायल के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 84 है)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो ट्रायल न्यायालय उसके खिलाफ कानून के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 174-A (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 209 है) के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को ट्रायल न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) केस शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 (संबंधित धारा 351 बीएनएसएस) के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर ट्रायल न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो ट्रायल न्यायालय इस चूक को जमानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

8. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ट्रायल न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

22 जून, 2026

मनोज

(न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"